उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–49/2022–23

शेख नजाम वगैरह

बनाम्

शेख इसराइल वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक 15/1/25

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता शेख नजाम, पे0–स्व0 नूरनवी वो शेख मुस्ताक, पे0–स्व0 शबीर, सा0–लीलादह, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–32/2017–18 के आदेश दिनांक–21.10.2022, जिसके द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है, के विरूद्ध अपील आवेदन दाखिल किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–लीलादह नं0–36 के जमाबंदी सं0–129 कुल रकवा 14–09–19 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शेख सिताब अली वल्द बलकु वो मो0 तुलिया जौजे शेख शकरूली के नाम से दर्ज है। लेकिन गत सर्वे सेटलमेंट के कुछ वर्षों के बाद जमाबंदी रैयत मो0 तुलिया की मृत्यु नावल्द हो गयी। इसलिए उक्त जमाबंदी की पूरी जमीन जमाबंदी रैयत सिताब अली के दखल कब्जे में आया। अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी द्वितीय पक्ष जमाबंदी रैयत सिताब अली के वंशज है। जबकि उत्तरवादी प्रथम पक्ष बाहरी व्यक्ति है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–156 एवं 543 कुल रकवा 02–14–10 धुर जमीन से उत्तरवादी प्रथम पक्ष के पिता शेख हासीम एवं उत्तरवादी शेख इसराइल को उच्छेद करने के लिए आवेदन दाखिल किया गया था, जिसके आलोक में विपक्षी शेख हासीम एवं उत्तरवादी शेख इसराईल के विरूद्ध आर0ई0आर0 केश नं0–32/2017–18 वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया एवं विपक्षी शेख हासीम एवं शेख इसराईल को नोटिश निर्गत किया गया। नोटिश प्राप्ति के पश्चात विपक्षी शेख हासीम एवं शेख इसराईल निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक–05.12.2017 को कारण–पृच्छा दाखिल किया गया, जिसमें दावा किया गया कि जमाबंदी रैयत सिताब अली को एक बहन बीबी तीता थी और वे बीबी तीता के वंशज है।

उसी क्रम में उत्तरवादी द्वितीय पक्ष की ओर से भी शपथ पत्र के साथ आवेदन दाखिल किया गया, जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। इसी बीच विपक्षी के द्वारा पूरक कारण–पृच्छा दाखिल किया गया, जिसमें विपक्षी के द्वारा पूर्व के अपने दिये कारण को बदल दिया गया एवं पूरक कारण–पृच्छा में विपक्षी के द्वारा जमाबंदी रैयत मो0 तुलिया के वंशज होने का दावा किया गया। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा विपक्षी के पूरक कारण–पृच्छा को स्वीकृत नहीं किया गया। उनका आगे कथन है कि अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के द्वारा अस्पष्ट एवं अधूरा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया तथा सुनवाई के दौरान विपक्षी की ओर से अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के क्रमांक–85 दिनांक–04.09.2018 के द्वारा निर्गत वंशावली का छाया प्रति बिना सूची का दाखिल किया गया। उक्त वंशावली पर अपीलकर्त्ता के द्वारा आपत्ति किया गया। आपत्ति के आलोक में निम्न न्यायालय के द्वारा अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के द्वारा पत्रांक –995/रा दिनांक–19.12.2021 के द्वारा पुनः जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात कई तिथियों तक निम्न न्यायालय का कार्य स्थगित रहा है एवं बाद में बिना सुनवाई किये ही निम्न न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय के द्वारा सही ढंग से सुनवाई नहीं की गयी है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए उत्तरवादी प्रथम पक्ष को उच्छेद करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता ने उत्तरवादी प्रथम पक्ष को उच्छेद करने के लिए शेख शफीक, पे0–शेख अब्बास के गलत नाम से जाली टीप निशान लगाकर निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था। लेकिन जब यह मामला शेख शफीक के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत निम्न न्यायालय में दिनांक–24.02.2018 को शपथ पत्र के साथ आवेदन दाखिल किया कि उन्होंने उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विरूद्ध कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है। बल्कि अपीलकर्त्ता के द्वारा गलत टीप निशान लगाकर धोखाघड़ी से गलत मामला दर्ज किया गया। इसलिए अपीलकर्त्ता के विरूद्ध गलत टीप निशान लगाकर दूसरों के नाम से झूठा मामला दर्ज करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता के पास उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत वाद दायर करने के लिए कोई कारण नहीं है। क्योंकि उत्तरवादी प्रथम पक्ष भी उसी जमाबंदी के अन्तर्गत के जमाबंदी रैयत के

वंशज है। लेकिन अपीलकर्त्ता ने कानूनी एवं भौतिक तथ्यों को छिपाते हुए आवेदन दाखिल किया था। इस प्रकार अपीलकर्त्ता ने उत्तरवादी प्रथम पक्ष के साथ–साथ निम्न न्यायालय के साथ भी धोखाघड़ी किया है। उनका आगे कथन है कि मौजा–लीलादह के जमाबंदी सं0–129 कुल रकवा 14–09–19 धुर, जिसमें अपील वादगत दाग नं0–543 एवं 156 की जमीन भी शामिल है। संयुक्त रूप से सीताब अली, पे0–शेख बैकु वो मो0 तुलिया, पति–सकरूल्ली के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष जमाबंदी रैयत मो0 तुलिया के वंशज है एवं अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत शेख सिताब अली के वंशज़ है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष का संबंध जमाबंदी रैयत मो0 तुलिया से इस प्रकार स्पष्ट होता है :–

जमाबंदी रैयत मो0 तुलिया

↓

तेतिया, पति–बदरूद्दिन

↓

शेख सुलेमान

↓

शेख हासीम

↓

शेख इसराईल बीबी नाजनी

उनका आगे कथन है कि जमाबंदी रैयत मो0 तुलिया अपने पीछे एक मात्र पुत्री तेतिया को छोड़कर फौत कर गयी। तेतिया अपने पीछे एक पुत्र मु0 सुलेमान को छोड़कर फौत कर गयी। मु0 सुलेमान के पुत्र शेख हासीम हुए। शेख हासीम अपने पीछे एक पुत्र शेख इसराईल एवं एक पुत्री बीबी नाजनी को छोड़कर फौत कर गये। उनका आगे कथन है कि जमाबंदी रैयत सीताब अली के कई उत्तराधिकारी है, जो जीवित है, लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा इस अपील में पक्षकार के रूप में उनलोगों को शामिल नहीं किया गया है और न ही वे लोग निम्न न्यायालय में अपीलकर्त्ता के साथ शामिल हुए है। अपीलकर्त्ता उत्तरवादी प्रथम पक्ष के जमीन को हड़पने के उदेश्य से वाद दायर किया गया है। यह स्पष्ट है कि वादगत जमीन मो0 तुलिया के नाम से दर्ज है एवं मो0 तुलिया के समय से ही वादगत जमीन उत्तरवादी प्रथम पक्ष के पूर्वज एवं वर्तमान में उत्तरवादी प्रथम पक्ष दखल में है। उनका आगे कथन है कि जमाबंदी रैयत सीताब अली एवं मो0 तुलिया ने वर्ष 1940 ई0 में पारिवारिक व्यवस्था के तहत उक्त जमाबंदी सं0–129 की जमीन आपसी सहमति के आधार पर बँटवारा किया था, जिसमें उक्त जमीन एवं अन्य जमीन जमाबंदी रैयत मो0 तुलिया के हिस्से में आई थी, जिसे बाद में

रजिस्ट्री कार्यालय, दुमका के पारिवारिक बँटवारा दस्तावेज सं0–2961 से 2964/1971 के द्वारा पुष्टि की गयी है। उनका आगे कथन है कि अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के जाँच प्रतिवेदन में उत्तरवादी प्रथम पक्ष के दखल को पाया गया है एवं वर्तमान तसदीक सर्वे पर्चा में भी सिताब अली के उत्तराधिकारी के साथ उत्तरवादी प्रथम पक्ष के पिता शेख कासीम का भी नाम दर्ज किया गया है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा संयुक्त रूप से लगान का भी भुगतान कर रहे हैं। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–लीलादह नं0–36, जमाबंदी नं0–129 कुल रकवा 14–09–19 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शेख शीताब अली वल्द शेख बलकु वो मो0 तुलिया जौजे शेख शकरूली के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता का कथन है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष बाहरी व्यक्ति है। लेकिन उत्तरवादी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजातों से यह स्पष्ट होता है कि उक्त जमाबंदी की जमीन का बँटवारा भी किया गया है। उक्त बँटवारानामा जिला अवर निबंधक, दुमका के दस्तावेज सं0–2961 से 2964/71 के द्वारा निबंधित है। उक्त बँटवारानामा में शे0 हासीम का नाम भी शामिल है। वर्तमान तसदीक सर्वे पर्चा में भी अन्य के साथ शे0 हासीम का भी नाम दर्ज है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन से भी यह स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष दोनों ही जमाबंदी रैयत के वंशज है। इस प्रकार यह संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के विपरीत अवैध हस्तान्तरण का मामला प्रतीत नहीं होता है, बल्कि यह स्वत्व का मामला प्रतीत होता है। निम्न न्यायालय द्वारा दोनों पक्ष के सुनवाई के पश्चात आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–32/2017–18 के आदेश दिनांक–21.10.2022 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.09.19 11:17:57 +05:30
Location: 192.168.1.33

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा

उपायुक्त,
गोड्डा

RMA No. 49-2022-23